कुक्कुट नीति

1. प्रस्तावना :–

लघु उद्योगों के रूप में पशुपालन और डेयरी का विकास उत्तराखंड सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं से एक है। पशुधन गणना 2019 के अनुसार उत्तराखंड में कुल कुक्कुट पक्षी 50.19 लाख हैं। वर्ष 2022–23 में अंडे का उत्पादन 5,413 लाख था जबकि भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में अंडे की आवश्यकता 20,857 लाख थी। स्पष्ट है कि वर्ष 2022–23 में राज्य में अंडा उत्पादन में 15,444 लाख की कमी रही।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ने मानक के रूप में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 182 अंडों की खपत का सुझाव दिया है। अंडो की राष्ट्रीय उपलब्धता 53 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है जबकि उत्तराखंड में यह 47 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। इसी प्रकारवर्ष 2022–23 में उत्तराखंड में पोल्ट्री मांस का उत्पादन 113 लाख किलोग्राम था, जबकि वार्षिक आवश्यकता 508 लाख किलोग्राम थी, इस प्रकार वर्ष 2022–23 में395 लाख किलोग्राम पोल्ट्री मांस की कमी हुई। यह स्पष्ट रूप से आवश्यकता और उपलब्धता में भारी अंतर को दर्शाता है।

यद्यपि राज्य में कुक्कुट विकास के लिए भारी क्षमता और अनुकूल वातावरण है, फिर भी राज्य में केवल 'बैकयार्ड पोल्ट्री' तेजी से विकसित हो रहा है। इसी प्रकार मक्का के दाने, अन्य कुक्कुट आहार सामग्री, पर्याप्त जनशक्ति, विशाल बाजार और पोल्ट्री उत्पाद की खपत में भारी वृद्धि जैसे समृद्ध संसाधन होने के बावजूद, पोल्ट्री क्षेत्र में उद्यमिता के विकास ने राज्य में अपेक्षित गति नहीं पकड़ी है। इसलिए उद्यमिता को बढ़ावा देने और राज्य को कुक्कुट क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राज्य सरकार ने व्यावसायिक लेयर फार्म और पैरंट ब्रायलर इकाईयों की स्थापना के लिए कई विश्वसनीय योजनाओं को प्रस्तावित किया गया है। इन योजनाओं में कुक्कुट आधारित इकाईयों के विकास को प्रोत्साहित करने के उपाय किए गए हैं।

2. कुक्कुट नीति की व्यापकता

2.1 व्यावसायिक लेयर फार्मो की स्थापना

राज्य लगभग 154 करोड़ अंडे का उत्पादन करने और अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक लेयर फार्मकी स्थापना को प्रोत्साहित करेगा। जिसमे 2.5 एकड़ भूमि (मैदानी क्षेत्रों के लिए) पर 30,000 पक्षियों की क्षमता वाले एक व्यावसायिक लेयर फार्म और 1.5 एकड़ भूमि (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए) पर 15,000 पक्षियों की क्षमता वाले एक व्यावसायिक लेयर फार्म को एक इकाई के रूप में माना जाएगा। उपर्युक्त क्षमता से छोटी इकाईयां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति (MSME Policy) से लाभ प्राप्त कर सकती है।

2.2 ब्रायलर पैरेन्ट फार्मों की स्थापना

ब्रायलर फार्म को अधिक लाभदायक और संगठित बनाने तथा राज्य को चूजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य ब्रायलर पैरेन्ट इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा। 4 एकड़ भूमि (मैदानी क्षेत्रों) में 10,000 पक्षियों की क्षमता वाले एक ब्रायलर पैरेन्ट फार्म और 2 एकड़ भूमि (पहाड़ी क्षेत्रों) पर 5,000 पक्षियों की क्षमता वाले एक ब्रॉयलर पैरेन्ट फार्म को एक इकाई के रूप में माना जाएगा। उपर्युक्त क्षमता से छोटी इकाईयां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति (MSME Policy) से लाभ प्राप्त कर सकती है।

3. कुक्कुट नीति की वैधता

यह नीति सरकारी अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी और 31 दिसंबर, 2030 तक या नई नीति आने तक प्रभावी रहेगी।
उत्तराखंड सरकार आवश्यकता पड़ने पर इस नीति की अवधि बढ़ा या घटा सकती है। यह नीति पूरे राज्य में लागू होगी और भावी योजनाओं/कार्यों को दिशा देगी।
नोटः उत्तराखंड की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति (MSME Policy) 2023, या उत्तराखंड सरकार की अन्य नीतियों के तहत पोल्ट्री क्षेत्र के लिए दिये जो रहे प्रोत्साहनों का लागू रहना भी जारी रहेगा। इस नीति के किसी भी अन्य नीति के साथ ओवरलैपिंग (अधिव्यापन) के मामले में, लाभार्थी लागू नीतियों में से किसी एक के तहत प्रोत्साहन चुनने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु योग्यता मानदंड

- कोई अधिवास (Domecile) प्रतिबंध नहीं।
- यह योजना भारत या विदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुली है।
- एन.आर.आई. और अन्य देशों के उद्यमी भी योग्य हैं।
- व्यक्ति/साझेदारी/समूह/कंपनियां (स्टार्ट अप सहित) भी योग्य हैं।
- इकाईयों की स्थापना के लिए भूमि आवेदन करने वाले व्यक्ति के नाम पर होनी चाहिये या/अथवा भूमि का दीर्घकालिक अनुबंध (Lease Agreement) होना चाहिए।

हालांकि, योग्य बनने के लिए, आवेदकों को निर्धारित भूमि (स्वयं या अनुबंध पर) मानको का पालन करना होगा और सभी प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्यो हेतु स्थानीय निवासियों को काम पर रखने में वरीयता देनी होगी।

4.1 व्यक्ति कितनी इकाईयॉ ले सकता हैः–

- इकाईयों की संख्या के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है, आवेदक/लाभार्थी कितनी भी संख्या में इकाईयों का विकल्प चुन सकता है
- एक फार्म में कुक्कुट पक्षियों की संख्या का एक इकाई (व्यावसायिक लेयर फार्म/ब्रॉयलर पैरेंट फार्म) के गुणक में होना अनिवार्य नहीं होगा।
- दूसरी या तीसरी इकाई को पहली इकाई से दूर स्थापित करना अनिवार्य नहीं है

व्यावसायिक लेयर फार्मो के लिए प्रोत्साहन (इंसैन्टिव) केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार एन.आई.सी कोड 01461, 01462 और 01463 लागू होंगे।
ब्रायलर पैरेंट फार्मस् के लिए प्रोत्साहन (इंसैन्टिव) केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार एनआईसी कोड 01461 और 01463 लागू होंगे।

एन.आई.सी. कोड	आच्छादित क्षेत्र
01461	मुर्गियों का पालन और प्रजनन
01462	अंडे का उत्पादन
01463	पोल्ट्री हैचरी का संचालन

5. नीति के तहत प्रोत्साहन

राजकोषीय सब्सिडीः योग्य इकाइयां, जैसा कि इस नीति की धारा 4 में परिभाषित किया गया है, निम्नलिखित प्रोत्साहनों के लिए योग्य होंगीः—

क्षेत्र	प्रोत्साहन
मैदानी क्षेत्र	**30 प्रतिशत अनुदान हेतु अधिकतम् सेट—अप लागत —** 1. रू0 1.8 करोड (रू0 एक करोड अस्सी लाख मात्र) व्यावसायिक लेयर फार्म की एक इकाई हेतु। 2. रू0 2.1 करोड़ (रू0 दो करोड़ दस लाख मात्र) ब्रायलर पैरेंट फार्म की एक इकाई हेतु
पहाडी क्षेत्र	**40 प्रतिशत अनुदान हेतु अधिकतम् सेट—अप लागत —** 1. रू0 1.2 करोड (रू0 एक करोड बीस लाख मात्र) व्यावसायिक लेयर फार्म की एक इकाई हेतु। 2. रू0 1.4 करोड़ (रू0 एक करोड़ चालीस लाख मात्र) ब्रायलर पैरेंट फार्म की एक इकाई हेतु

नोटः— 70 प्रतिशत ऋण अनुमानित है।

इसलिए, योग्य इकाईयों के लिए अनुदान राशि (सब्सिडी) प्रति इकाई नीचे दी गयी अधिकतम सीमा के अधीन होंगे—

इकाई का प्रकार	सीमा
व्यावसायिक लेयर फार्म	मैदानी क्षेत्रों के लिए अधिकतम राजकोषीय सब्सिडी रू0 54 लाख प्रति यूनिट और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रू 48 लाख प्रति यूनिट
ब्रायलर पैरेंट फार्म	मैदानी क्षेत्रों के लिए अधिकतम राजकोषीय सब्सिडी रू0 63 लाख प्रति यूनिट और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रू0 56 लाख प्रति यूनिट

ऊपर लिखे गये लाभ और सीमाओं का लाभार्थी द्वारा आवेदन की गई इकाईयों की संख्या से गुणन किया जाएगा, जो निम्नलिखित कुल अधिकतम् सीमाओं के अधीन होगी।

प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) प्रति वर्ष पहले आओ–पहले पाओं के आधार पर नीचे दी गयी अधिकतम संख्या के अनुसार फार्मो को दी जाएगी–

वर्ष	मैदानी क्षेत्र		पर्वतीय क्षेत्र	
	अधिकतम संख्या (योग्य व्यावसायिक लेयर फार्म इकाईयों की संख्या)	अधिकतम संख्या (योग्य ब्रायलर पैरेंट फार्म इकाईयों की संख्या)	अधिकतम संख्या (योग्य व्यावसायिक लेयर फार्म इकाईयों की संख्या)	अधिकतम संख्या (योग्य ब्रायलर पैरेंट फार्म इकाईयों की संख्या)
1	5	3	5	4
2	5	3	5	3
3	3	1	3	1
4	2	1	3	1
5	2	1	2	1
कुल	**17**	**9**	**18**	**10**

राज्य के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की परिभाषा नीचे दी गयी है:

श्रेणी	आच्छादित क्षेत्र
मैदानी क्षेत्र	1. देहरादून और नैनीताल जिलों में मैदानी तहसीलें – अर्थात, देहरादून में देहरादून सदर, डोईवाला, ऋषिकेश और विकासनगर; और नैनीताल में हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी और लालकुऑ। 2. हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों के अंतर्गत पूरा क्षेत्र।
पर्वतीय क्षेत्र	1. पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल **2.** देहरादून और नैनीताल जिलों में पहाड़ी तहसीलें – अर्थात, देहरादून में चकराता, कलसी और त्यूनी और नैनीताल में नैनीताल, धारी, खनस्यूं, कोसियाकुटोली और बेतालघाट

6. प्रशिक्षण और क्षमता विकास

कुक्कुट पालन इकाई की स्थापना के लिए चयनित लाभार्थियों को उद्यमिता विकास प्रबंधन और तकनीकी प्रशिक्षण राज्य के जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर और पशुलोक ऋषिकेश में विभागीय प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

उन्नत प्रौद्योगिकियों या पद्धतियों को अपनाने वाले किसी भी लाभार्थी को विभाग द्वारा निरीक्षणोपरांत उचित पाये जाने पर नवाचार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सकती हैं, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 1 लाख मात्र है।

7. तकनीकी और पश्चवर्ती (Backward) और अग्रवती (Forward) लिंकेज

पशुपालन निदेशालय में एक तकनीकी समूह का गठन किया जाएगा, जो उद्यमी को सभी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उद्यमी और उद्योग के मध्य एक इंटरफेस के रूप में कार्य करके भी विभाग द्वारासहायता प्रदान की जाएगी जिसमें बाजार आसूचना सहित पश्चवर्ती और अग्रवर्ती संपर्क शामिल होंगे। किसानों को पोल्ट्री पक्षियों के आहार की आवश्यकता हेतु कच्चे माल के उत्पादन के लिए सोयाबीन, मक्का और अन्य फलीदार फसलों जैसी फसलों की बुवाई करने की सलाह दी जाएगी।

8. प्रोत्साहन (सब्सिडी) की भुगतान सारणी

योग्य इकाईयों को राजकोषीय सब्सिडी तीन किस्तों में आवेदक के परियोजना ऋण बैंक खाते में सीधे वितरित की जाएगी:

1. 50% की पहली किस्त का भुगतान बुनियादी ढांचे के विकास के पूरा होने पर किया जाएगा।
2. 40% की दूसरी किस्त का भुगतान उत्पादन शुरू होने के बाद किया जाएगा– अर्थात फार्म पर कुक्कुट पक्षियों की आवश्यक संख्या की उपलब्धता के सत्यापन के पश्चात् नोडल अधिकारी–निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा।
3. 10% की अंतिम किस्त का भुगतान दो साल के अंत में (सब्सिडी के लिए वैधता अवधि) फार्म के कार्यों के आंकलन और भारत सरकार द्वारा निर्गत जैव सुरक्षा एस.ओ.पी. (SOP) के अनुपालन की सुनिश्चितता के बाद किया जाएगा।

सब्सिडी विभाग द्वारा परियोजना की स्वीकृति के तिथि से केवल दो वर्षों के लिए वैध होगी। यदि कार्यो का संचालन निर्धारित समय के अन्तर्गत नहीं होता है, तो इस दशा में प्रोत्साहन राशि मान्य नहीं होगी और इस अवधि के दौरान आवेदक द्वारा प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन को 18% ब्याज पर उत्तराखंड सरकार को वापस करना होगा।

यदि लाभार्थी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना को कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं है और विलंब विभाग या किसी राज्य/केन्द्र सरकार के प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्राधिकरण या क्षेत्राधिकार वाले निकाय के किसी विशिष्ट या सामान्य आदेश या कार्रवाई के कारण सीधे कारणों से होता है, तो निर्धारित अवधि को सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर आंवटी/पट्टेदार के परियोजना को बिना ब्याज लगाये बढ़ाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, यदि आंवटी/पट्टेदार परियोजना को पूर्ववर्ती खंड (Preceding Clause) के अंतर्गत शामिल न किए गए कारणों से परियोजना को क्रियान्वित करने एवं निर्धारित अवधि के भीतर उत्पादन/प्रचालन शुरू करने में असमर्थ है, तो विस्तार प्रदान करने के आवेदन पर गुण–दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है, उदाहरणार्थ, जहां अवसंरचना विकास के प्रावधान में विलंब हुआ है और/या जहां आवंटी कार्यान्वयन में विलंब के कारणों को प्रस्तुत करता है और ऐसे कारण उसके नियंत्रण से बाहर हैं, तो ऐसे लाभार्थी की परियोजना को लाभार्थी द्वारा निर्धारित परियोजना

विस्तार शुल्क और/अथवा जुर्माना अदा करने पर, जैसा उचित समझा जो, बिना ब्याज लगाये विस्तारित किया जा सकता है।

अंत में, यदि लाभार्थी फार्म से न्यूनतम निर्दिष्ट अंडे/मांस का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है या फार्म के संचालन सब्सिडी संवितरण के पहले पांच वर्षों के भीतर भारत सरकार द्वारा जैव सुरक्षा एसओपी का उल्लंघन करते हैं (पहली किस्त सब्सिडी वितरण की तारीख से गणना); तो प्रोत्साहन राशि मान्य नहीं होंगी और इस अवधि के दौरान आवेदक द्वारा प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन राशि को उत्तराखंड सरकार को 18% ब्याज पर यथानुपात आधार पर वापस करना होगा (यदि फार्म संचालन सब्सिडी वितरण की तारीख से चौथे वर्ष में उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करता है, तो आवेदक को चौथे वर्ष के अंत में 18% प्रति वर्ष ब्याज की दर सहित कुल सब्सिडी का 20% उत्तराखण्ड सरकार को वापस करना होगा)।

9. नीति का कार्यान्वयन

पशुपालन विभाग, उत्तराखंड सरकार इस नीति के लिए कार्यान्वयन और प्रशासनिक एजेंसी होगी।

9.1 आवेदन जमा करना और अनुमोदन

सभी इच्छुक पार्टियां ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखंड सरकार को जमा करके आवेदन कर सकती हैं (व्यावसायिक लेयरफार्म के लिए **प्रोफार्मा 'ए'** और ब्रायलर पैरेंट फार्म के लिए **प्रोफार्मा 'बी'** का संदर्भ)। निवेशकों/आवेदकों के आवेदनों की प्रक्रिया, अपीलों के निपटान, आदि के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली स्थापित की जाएगी और **आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों** के भीतर **'पूर्व–मूल्यांकन समिति'** द्वारा जांच की जाएगी व मूल्यांकन समिति को प्रेषित किये जायेंगे। पूर्व–मूल्यांकन समिति का गठन इस प्रकार है–

1.	संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि	–अध्यक्ष
2.	संबंधित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी	–सदस्य
3.	संबंधित जिले के मुख्य प्रसार अधिकारी	–सदस्य

निदेशालय स्तर पर **'मूल्यांकन समिति'** द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर गहन जांच की जाएगी तथा अनुमोदन समिति को प्रेषित किये जायेंगे। 'मूल्यांकन समिति' का गठन इस प्रकार है:

1.	अपर निदेशक, मुख्यालय	–अध्यक्ष
2.	संयुक्त निदेशक, कुक्कुट	–सदस्य
3.	उप निदेशक, कुक्कुट	–सदस्य सचिव
4.	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	–सदस्य

9.2. परियोजना अनुमोदन और वित्तपोषण

इस नीति के तहत संवितरित प्रोत्साहन राशियो के प्रस्ताव के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं की जांच के बाद प्रोत्साहन राशियों को विभाग के बजट से वित्तपोषित किया जाएगा और **'परियोजना**

अनुमोदन समिति (पीएसी)' द्वारा 30 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाएगा। इस समिति को एक व्यक्तिगत आवेदक के अधिकतम 2 इकाईयों के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार होगा। पीएसी में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

सचिव, पशुपालन	–	अध्यक्ष
निदेशक, पशुपालन	–	सदस्य
संयुक्त निदेशक, कुक्कुट	–	सदस्य सचिव

एक व्यक्तिगत आवेदक द्वारा दो से अधिक इकाईयों की स्थापना के लिए किये गये किसी भी आवेदन के लियेउपर्युक्त समिति माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच0पी0सी0) से भी अनुमोदन प्राप्त करेगी। उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच0पी0सी0) में उत्तराखण्ड राज्य के निम्नलिखित विभाग शामिल होगें (लेकिन राज्य के विभाग इन्ही विभाग तक सीमिति नहीं होगें) जैसे–राजस्व, ऊर्जा, पर्यावरण, पशुपालन, वित्त और उद्योग।

9.3. शिकायत निवारण

नीति कार्यान्वयन में किसी भी विसंगति और देरी के मामले में, निवेशक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण के लिए फाइल कर सकेगा। नोडल अधिकारी– निदेशक, पशुपालन– 60 दिनों के भीतर शिकायत के समय पर समाधान के लिए जिम्मेदार होंगे, निर्धारित समय के भीतर समाधान न होने की स्थिति में शिकायत को उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच0पी0सी0) को अग्रेसित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के पास निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित हैः–

1. इस नीति के अन्तर्गत सम्मिलित की गई परियोजनाओं को इस नीति की अवधि के दौरान किसी भी समय अपडेट/अद्यतन करने का अधिकार जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे।
2. नीति के प्रावधानों मे से किसी भी प्रावधान को (प्रावधानों के संशोधन सहित) या किसी समर्थन तंत्र को वापस लेने संबंधी निर्णय का नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत समय–समय पर संशोधित करने का अधिकार होगा।
3. इस नीति के तहत योग्य परियोजना को सहायता की स्वीकृति/संवितरण के संबंध में मामलों की समीक्षा करने का अधिकार होगा और इस स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
4. आवश्यकता पड़ने पर इस नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम बनाना/संशोधन करना।
5. किसी भी विवाद के मामले में, विभाग प्रचलित नीति के अनुसार निर्णय ले सकता है और इस प्रकार लिया गया निर्णय सभी संबंधितों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। संबंधित पक्षों के लिए इसका अनुपालन अनिवार्य होगा।
6. गुणवत्ता नियंत्रण, रोग निवारण आदि में किसी बड़ी और नियमित चूक के मामले में यथोचित सुधारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार।

वित्त अनुभाग के लिए औचित्य नोटः नीति के तहत संभावित परिव्यय

पोल्ट्री क्षेत्र में क्षेत्र के विशेषज्ञों और क्षेत्र की मौजूद फर्मो/कम्पनियों के साथ चर्चा के आधार पर, यह नीति संभावित रूप से राज्य में लगभग 85 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित कर सकती है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों को मिलाकर व्यावसायिक लेयर फार्म में 35 इकाईयों और ब्रायलर पैरेंट फार्म में 19 इकाईयों की स्थापना होने की संभावना है।

व्यावसायिक लेयर फार्म और ब्रायलर पैरेंट फार्म में कुल रू0 85.1 करोड़ निवेश अपेक्षित है। जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है :–

वर्ष	मैदानी क्षेत्र (रू0 करोड़ में)		पर्वतीय क्षेत्र (रू0 करोड़ में)		कुल निवेश
	अधिकतम योग्य व्यावसायिक लेयर फार्म इकाईयों में निवेश	अधिकतम योग्य ब्रायलर पैरेंट फार्म इकाईयों में निवेश	अधिकतम योग्य व्यावसायिक लेयर फार्म इकाईयों में निवेश	अधिकतम योग्य ब्रायलर पैरेंट फार्म इकाईयों में निवेश	
1	9.00	6.30	6.00	5.6	**26.90**
2	9.00	6.30	6.00	4.20	**25.50**
3	5.40	2.10	3.60	1.40	**12.50**
4	3.60	2.10	3.60	1.40	**10.70**
5	3.60	2.10	2.40	1.40	**9.50**
कुल	**30.60**	**18.90**	**21.60**	**14.00**	**85.10**

व्यावसायिक लेयर फार्म और ब्रायलर पैरेंट फार्म में राज्य के लिए कुल अपेक्षित परिव्यय रू0 29.09 करोड है, जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया गया है:–

वर्ष	मैदानी क्षेत्र (रू0 करोड़ में)		पर्वतीय क्षेत्र (रू0 करोड़ में)		कुल परिव्यय
	अधिकतम योग्य व्यावसायिक लेयर फार्म इकाईयों हेतु परिव्यय	अधिकतम योग्य ब्रायलर पैरेंट फार्म इकाईयों हेतु परिव्यय	अधिकतम योग्य व्यावसायिक लेयर फार्म इकाईयों हेतु परिव्यय	अधिकतम योग्य ब्रायलर पैरेंट फार्म इकाईयों हेतु परिव्यय	
1	2.70	1.89	2.40	2.24	**9.23**
2	2.70	1.89	2.40	1.68	**8.67**
3	1.62	0.63	1.44	0.56	**4.25**
4	1.08	0.63	1.44	0.56	**3.71.**
5	1.08	0.63	0.96	0.56	**3.23**
कुल	**9.18**	**5.67**	**8.64**	**5.60**	**29.09**

उपर्युक्त निवेश से राज्य को होने वाले संभावित प्रत्यक्ष लाभों का सारांश नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:–

विवरण	लाभ
अनुमानित कुल प्रत्यक्ष रोजगार	400–500
नए फार्मो में उत्पादित होने वाले अंडों की वार्षिक संख्या	32 करोड़
वार्षिक मांस उत्पादन	32 लाख कि0ग्रा0

उपर्युक्त टिप्पणी को अनुमान क्षेत्र के विशेषज्ञों और मौजूदा फर्मो/ कम्पनियों के साथ परामर्श और अन्य राज्यों के साथ बैंचमार्किंग के आधार पर तैयार किए गए हैं। वास्तविक निवेश, इकाईयों की संख्या, प्रोत्साहन राशि का संभावित संवितरण और राज्य को उपार्जित लाभ उपर्युक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

पोल्ट्री नीति का विस्तृत लागत–लाभ विश्लेषण

पॉलिसी की लागत

एक. सब्सिडी परिव्यय:

- **व्यावसायिक लेयर फार्म और ब्रायलर पैरेंट फार्म** में राज्य के लिए कुल अपेक्षित परिव्यय **पांच वर्षों** में रू0 29.09 करोड़ अनुमानित है।
- इसमें मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के लिए सब्सिडी शामिल है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी की उच्च प्रतिशतता पहाड़ी क्षेत्रों को आवंटित की जानी है।

दो.प्रशासनिक लागत:

- नीति के कार्यान्वयन के लिए रू0 1 करोड़ की लागत वाले प्रशासनिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें एकल–खिड़की निकासी प्रणाली का एकीकरण/स्थापना, शिकायत निवारण तंत्र और जैव सुरक्षा एसओपी के अनुपालन की निगरानी शामिल है।

पॉलिसी के लाभ

1. **पोल्ट्री उत्पादन में आत्मनिर्भरता:** नीति का उद्देश्य अंडे और पोल्ट्री मांस उत्पादन और खपत में महत्वपूर्ण अंतर को कम करना है:

   - **अंडे:** राज्य में सालाना 154.44 करोड़ अंडों के उत्पादन का आभाव है। नीति से सालाना 32 करोड़ अंडों के उत्पादन की संभावना है, जिससे इस अंतर को काफी कम किया जा सकेगा।

- **पोल्ट्री मीटः** मौजूदा कमी 395 लाख कि0ग्रा0 सालाना है। नीति सालाना 32 लाख किलोग्राम पोल्ट्री मांस का योगदान देगी, उपलब्धता में सुधार करेगी और अन्य राज्यों से आयात पर निर्भरता कम करेगी।

2. **रोज़गार सृजनः**
   - नीति से पोल्ट्री क्षेत्र में 450–500 प्रत्यक्ष और 3,000–3,500 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है, जिसमें चारा उत्पादन, परिवहन और खुदरा बाजार जैसे रोजगार सम्मिलित है।
   - नीति स्थानीय लोगो को रोजगार देने कीवरीयता को अधिदेशित करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक लाभ राज्य के भीतर वितरित किए जायें।

3. **रोजगार पर व्यय से अप्रत्यक्ष जीएसटी राजस्वः**
   - हालांकि जीएसटी पोल्ट्री उत्पादों पर लागू नहीं है, लेकिन रोजगार के माध्यम से उत्पन्न डिस्पोजेबल आय से कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की खपत में वृद्धि होगी, जिससे राज्य के जीएसटी राजस्व में योगदान होगा।
   - 450–500 कर्मचारियों के लिए अनुमानित वार्षिक आय (प्रति वर्ष रू0 3–4 लाख का औसत वेतन मानते हुए) रू0 15–17 करोड़ है। यह मानते हुए कि इस आय का 70% राज्य के भीतर खर्च किया जाता है और आगे 70% जीएसटी–कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं (6% की औसत जीएसटी दर पर) पर खर्च किया जाता है, राज्य जीएसटी राजस्व में सालाना 40–50 लाख रुपये अर्जित कर सकता है।

4. **आर्थिक गुणक प्रभावः**
   - इस नीति के द्वारा रू0 85.10 करोड़ का निजी निवेश आकर्षित किए जाने की संभावना है।
   - मक्का उत्पादन (पोल्ट्री फीड के लिए), हैचरी संचालन और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स जैसे सहायक उद्योगों को भी लाभ होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर एक लहर प्रभाव पैदा होगा।
   - **राज्य के राजस्व का कम बहिर्वाह (Outflow)** वर्तमान में, राज्य की कुक्कुट मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अन्य राज्यों से आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। आत्मनिर्भर बनकर उत्तराखंड राजस्व के बहिर्वाह को कम कर सकता है, राज्य के भीतर धन को बनाए रख सकता है।

5. **पोषण और स्वास्थ्य लाभः**
   - अंडे और पोल्ट्री मांस की उपलब्धता में वृद्धि से आबादी के पोषण मानकों में सुधार करने, के पोषण मानको के आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुरूप होने और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में योगदान करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

उत्तराखंड की कुक्कुट नीति राज्य की आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास में एक रणनीतिक निवेश का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि पोल्ट्री उत्पादों से प्रत्यक्ष जी.एस.टी. राजस्व उपलब्ध नहीं है, रोजगार सृजन और निजी निवेश खपत पर जीएसटी के माध्यम से एक मजबूत अप्रत्यक्ष राजकोषीय लाभ और राज्य में निवेश के गुणक प्रभाव पैदा करता है। इसके अतिरिक्त, नीति महत्वपूर्ण पोषण संबंधी कमियों को संबोधित करती है और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है, जिससे यह सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पहल बन जाती है।

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड कुक्कुट परियोजना–2025

लेयर फार्म योजना हेतु प्रारूप

1.सामान्य

i. प्रायोजक बैंक का नाम :–

ii. योजना को प्रायोजित करने वाले नियंत्रक अधिकारी का पता :–

फोटो

iii. प्रस्तावित योजना की प्रकृति और उद्देश्य

iv. प्रस्तावित निवेशों का विवरण

क्र0सं0	निवेश	ईकाईयों की संख्या
(क)		
(ख)		
(ग)		

v. प्रस्तावित योजना का स्थान

क्र0सं0	जिला	विकासखण्ड

vi. वित्त पोषक राष्ट्रीयकृत बैंक का पता

क्र0सं0	शाखाओं का नाम	जिला
(क)		
(ख)		
(ग)		

vii. लाभार्थी की प्रकृति (व्यक्तिगत /साझेदारी/कम्पनी/निगम अथवा व्यापार संघ/सहकारी समिति/अन्य)

viii. उधारकर्ता की प्रोफाईल का विवरण

(क)	योग्यता	
(ख)	अनुभव	
(ग)	वित्तीय स्थिति	
(घ)	तकनीकी/ विशिष्ट अन्य योग्यतायें	
(च)	तकनीकी/प्रबन्धकीय मानव संसाधन का विवरण	

❖ **जहां आवश्यक हो सूचना हेतु पृथक से पृष्ठ जोडा जाये**

लेयर फार्म की परियोजना रिपोर्ट

2. तकनीकी स्वरूप

(क) भुमि का स्थान एवं भुमि विकास की स्थिति

(क)	परियोजना के स्थान का विवरण	
(ख)	भुमि का कुल क्षेत्रफल एवं मुल्य	
(ग)	स्थान का नक्शा	
(घ)	भुमि विकास चाहरदिवारी/तारबाड द्वार आदि का विवरण	

(ख) सिविल संरचना

	विभिन्न सिविल संरचनाओं के माप के साथ विस्तृत लागत अनुमान – पक्षियों के शेड – भण्डार कक्ष – ड्रेसिंग कक्ष – अधिकारी कक्ष – कमिकों के आवास – अन्य	

(ग) उपकरण/संयत्र एवं मशीनरी

(क)	फीडर	
(ख)	वाटरर (जल हेतु)	
(ग)	जनरेटर	
(घ)	चारा चक्की एवं मिक्सर	
(च)	डिबिकर	
(छ)	वैक्सिनेटर	
(ज)	फ्रिज/डिप फ्रिजर	
(झ)	अन्य उपकरण यदि आवश्यक हो	
(ट)	ट्रक/वैन/जिप (उक्त वाहनों के लिये मुल्य कोटेशन)	
(ठ)	अन्य	

(घ)आवास

(क)	आवास के प्रकार	डिप लिटर / पिंजरा / पर्यावरण नियंत्रक
(ख)	पक्षियों हेतु आवश्यक क्षेत्रफल (Sqft)	

(च) पक्षी

(क)	परियोजना के स्थान का विवरण	
(ख)	क्रय किये जाने वाले पक्षियों की संख्या	
(ग)	पक्ष्यिों के क्रय किये जाने हेतु सोर्स एवं लागत	
(घ)	मुल्य / प्रति पक्षी	
(च)	क्रय किये जाने वाले पक्षियों का वैक्सिनेशन	
(छ)	प्रतिस्थापना हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम	

(छ) उत्पाद पैरामीटर

(क)	अण्डे उत्पाद हेतु मानक	
(ख)	चारा दक्षता (चारा कि0ग्र0 / उत्पादित किये गये अण्डो की संख्या)	
(ग)	मत्यु दर	

(ज) पक्षी प्लेसमेंट सूची / चार्ट

दिनांक संलग्न की जानी है

परियोजना रिपोर्ट –लेयर फार्म

(झ) चारा

(क)	उपलब्धता के स्त्रोत	क्रय एवं चारा निर्माण
(ख)	यदि क्रय किया जाये i. क्रय किया जाने वाला स्थान ii. ब्राण्ड iii. दर (रू0 / कि0ग्रा0) – चूजा –उत्पादक –पक्षी	

(क)	उपलब्धता के स्त्रोत	क्रय एवं चारा निर्माण
(ग)	यदि प्रक्षेत्र पर निमार्ण किया जाये i. चारा चक्की एवं मिक्वचर की क्षमता ii. कच्चे माल का सोर्स iii. चारा फामूला iv. निर्माण की लागत – चूजा –उत्पादक –पक्षी	
(घ)	आवश्यकता (कि0ग्रा0 प्रति पक्षी) – चूजा –उत्पादक –पक्षी	

(ट) पशुचिकित्सा

(क)	स्त्रोत	
(ख)	स्थान	
(ग)	दूरी (कि0मी0)	
(घ)	स्टॉफ की उपलब्धता	
(च)	उपलब्ध सुविधाओं के प्रकार	
(छ)	यदि स्वंय व्यवस्था की जाती है i. पशुचिकित्सक/चिकित्सक/स्टॉकमेन/सलाहकार ii. दौरे की अवधि iii. भुगतान धनराशि (रू0)	
(ज)	प्रति पक्षी प्रति चक्र पर व्यय	

(ठ)विद्युत

(क)	स्त्रोत	
(ख)	विद्युत बोर्ड से मान्यता	
(ग)	संलग्न लोड	
(घ)	पॉवर फेलियर की समस्यायें	
(च)	जरनेटर की व्यवस्था	

(ङ) जल

(क)	स्त्रोत	
(ख)	जल की गुणवत्ता	
(ग)	पिने एवं सफाई हेतु उचित मात्रा में उपलब्धता	
(घ)	यदि निवेश किया जाना है तो संरचना के प्रकार, डिजाईन एवं लागत	

(ण) अण्डों का विपणन

(क)	विक्रय का स्त्रोत	
(ख)	निपटान का स्थान	
(ग)	दूरी (कि0मी0)	
(घ)	भुगतान का आधार (वजन की संख्या)	
(च)	निर्धारित दर – (रू0 / कि0ग्रा0 / अण्डे)	
(छ)	भुगतान की समयावधि	

(त) अन्य उत्पादों का विपणन

(क)	खाद– मात्रा / पक्षी मुल्य प्रति यूनिट (रू0 / मात्रा)	
(ख)	खाली बोरी बैग लागत की संख्या / बैग	

(थ) लाभार्थी का अनुभव

(द) तकनीकी व्यवहार पर टिप्पणी

(ध) राजकीय प्रतिबंध यदि कोई हो

3. वित्तीय पहलू

(क) ईकाई लागत

क्र0 सं0	निवेश का नाम	भौतिक ईकाई एवं विशिष्टता	घटकवार ईकाई यूनिट लागत (रू0)

(ख) डाउन पेमेंट / मार्जिन

(ग) भौतिक एवं वित्तिय वर्षवार कार्यक्रम

क्र0 सं0	निवेश	भौतिक ईकाई (रू0)	ईकाई यूनिट (रू0)	कुल परिव्यय (रू0)	मार्जिन (रू0)	बैंक ऋण (रू0)
1	2	3	4	5	6	7

(घ) वित्तीय व्यवहार्यता (फार्म मोड/यूनिट पर नकदी प्रवाह प्रक्षेपण पर टिप्पणी करें)

विवरण	
i. रिटर्न की आन्तरिक दर (IRR)	
ii. लाभ लागत अनुपात (BCR)	
iii. वर्तमान शुद्व मुल्य (NPW)	

(च) उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति (कॉर्पोरेट निकायों/साझेदारी फर्मों के मामले में प्रस्तुत की जानी चाहिए)

1. लाभप्रदता अनुपात

   क. जी0पी0 अनुपात

   ख. एन0पी0 अनुपात

2. ऋण समानता अनुपात
3. क्या आयकर एवं अन्य दायित्वों का भुगतान अद्यतन किया गया है
4. क्या ऑडिट की तारीख सही है (ऑडिट की प्रतियां संलग्न है)

छ) उधार की शर्तें

1. ब्याज दर
2. अनुग्रह अवधि
3. चुकौती अवधि
4. प्रकृति सुरक्षा
5. जहां भी आवश्यक हो सरकारी गारंटी की उपलब्धता

ज). ढांचागत सुविधाएं

1. निगरानी के लिए बैंक/कार्यान्वयन प्राधिकरण के पास तकनीकि कर्मचारियों की उपलब्धता
2. विवरण
   क. तकनीकि मार्गदर्शन
   ख. प्रशिक्षण सुविधाएं
   ग. सरकार का समर्थन विस्तार समर्थन
3. बीमा पॉलिसी का प्रकार
   क. आवधिकता
   ख. प्रीमियम की दर

अनुलग्नक–A–1

लेयर फार्मिंग की अर्थव्यवस्था– एक नजर में

1	इकाई का आकार	
2	पालन –पोषण की व्यवस्था	
3	जिला	
4	इकाई लागत (रूपये)	
5	बैंक ऋण (रूपये)	
6	मार्जिन मनी (रूपये)	
7	चुकौती अवधि (वर्ष)	
8	ब्याज दर (प्रतिशत)	
9	15 प्रतिशत डीएफ पर बीसीआर	
10	15 प्रतिशत डीएफ पर एनपीडब्ल्यू (रूपये)	
11	आईआरआर (प्रतिशत)	

अनुलग्नक–B–2

लेयर फार्मिंग–निवेश योजना की आर्थिकी

क्र0सं0	विवरण	मुख्य बिन्दु	भौतिक ईकाई	ईकाई निवेश (रू0 /ईकाई)	कुल निवेश
1	शेड एवं अन्य निर्माण क. ब्रूडर कम ग्रोअर शेड ख. लेयर शेड ग. स्टोर रूम				
2.	जल व्यवस्था (मोटर पंप पाईपलाईन आदि)				
3	अन्य आवश्यकताऐ ब्रूडर, ग्रोअर, लयर हाउस				
4	पहले 3 बैचों के आवर्ती व्यय के लिये निवेश क. चुजों की कीमत ख. चारे की लागत ग. दवा, कूडा, श्रम आदि				
5	कुल वित्तिय निवेश (30 प्रतिशत)				
7	बैंक ऋण (70 प्रतिशत)				

अनुलग्नक–C–2

लेयर फार्मिग का अर्थशास्त्र तकनीकी आर्थिक मापदंड

1	अण्डे देने वाले पक्षियों की संख्या (लेयर)	
2	संबधित अवधि (सप्ताह) ब्रुडिंग कम ग्रोइंग	
3	बैचों की संख्या	
4	प्रति पक्षी स्थान की आवश्यकता (वर्ग फीट) ब्रुडिंग सह ग्रोइंग बिछाने की अवधि	
5	शेडों के निर्माण की लागत (रूपये / वर्गफुट)	
6	निर्मित होने वाला स्टोर रूम क्षेत्र (वर्गफुट)	
7	स्टोर रूम के निर्माण की लागत (रू0 / पक्षी)	
8	डपकरणों की लागत और अन्य आवश्यकताऐं (रू0 / पक्षी) ब्रूडिंग, ग्रोइंग और पिंजरे	
9	मुत्यूदर (प्रतिशत)	
10	डीओसी की लागत (रू0 / चुजे)	
11	निःशुल्क चुजों की आपूर्ति (प्रतिशत)	
12	अतिरिक्त खरीदी (प्रतिशत)	
13	आहार की आवश्यकता (किग्रा0 / पक्षी) ब्रुडिंग चरण, विकास चरण, बिछाने का चरण	
14	छाना लागत (रू0 / किग्रा0) चूजे / उत्पादक मैश लेयर मैश	
15	श्रम पर व्यय (रू0 / माह)	
16	ओवर हेड लागत (दवाओं, वैक्सीन, बीमा कूडे आदि की लागत)(रूपये / पक्षी) ब्रूडिंग, ग्रोइंग स्टेज, लेइंग स्टेज	
17	अण्डा उत्पादन	
18	अण्डे की कीमत (रू0 / अण्डा)	
19	डिस्पोजबल पक्षियों का शारीरिक वनज (कि0ग्रा0)	
20	डिस्पोजेबल पक्षियों का ब्रिक्री मुल्य (रू0 / पक्षी)	
21	खाद से आय (रू0 / पक्षी) ब्रूडिंग, विकास चरण, विछाने का चरण	
22	बोरे की संख्या (प्रति टन चारा)	
23	बेरे से आय (रू0 प्रति बैग)	
24	शेड पर मुल्यहृास (प्रतिशत)	
25	उपकरण का मूल्यहृास (प्रतिशत)	
26	मार्जिन मनी (प्रतिशत)	
27	ब्याजदर (प्रतिशत)	
28	चुकौती अवधि (वर्ष)	
29	अनुग्रह अवधि (वर्ष)	
30	निर्माण अवधि (महीने)	
31	शेड के लिये विश्राम अवधि (सप्ताह) ब्रुडर, ग्रोअर चरण बिछाने की अवधि	

उद्यमी का नाम और पता ....

संपर्क नं0. ....

उद्यमी के हस्ताक्षर ....

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
उत्तराखण्ड कुक्कुट परियोजना–2025

ब्रालयर पैरेंट फार्म योजना हेतु प्रारूप

1.सामान्य

i. प्रायोजक बैंक का नाम :–

ii. योजना को प्रायोजित करने वाले नियंत्रक अधिकारी का पता :–

फोटो

iii. प्रस्तावित योजना की प्रकृति और उद्देश्य

iv. प्रस्तावित निवेशों का विवरण

क्र0सं0	निवेश	ईकाईयों की संख्या
(क)		
(ख)		
(ग)		

v. प्रस्तावित योजना का स्थान

क्र0सं0	जिला	विकासखण्ड

vi. वित्त पोषक राष्ट्रीयकृत बैंक का पता

क्र0सं0	शाखाओं का नाम	जिला
(क)		
(ख)		
(ग)		

vii. लाभार्थी की प्रकृति (व्यक्तिगत /साझेदारी/कम्पनी/निगम अथवा व्यापार संघ/सहकारी समिति/अन्य)

viii. उधारकर्ता की प्रोफाइल का विवरण

(क)	योग्यता	
(ख)	अनुभव	
(ग)	वित्तीय स्थिति	
(घ)	तकनीकी / विशिष्ट अन्य योग्यतायें	
(च)	तकनीकी / प्रबन्धकीय मानव संसाधन का विवरण	

❖ **जहां आवश्यक हो सूचना हेतु पृथक से पृष्ठ जोडा जाये**

ब्रालयर पैरेंट फार्म की परियोजना रिपोर्ट

2. तकनीकी स्वरूप

(क) भुमि का स्थान एवं भुमि विकास की स्थिति

(क)	परियोजना के स्थान का विवरण	
(ख)	भुमि का कुल क्षेत्रफल एवं मुल्य	
(ग)	स्थान का नक्शा	
(घ)	भुमि विकास चाहरदिवारी / तारबाड द्वार आदि का विवरण	

(ख) सिविल संरचना

	विभिन्न सिविल संरचनाओं के माप के साथ विस्तृत लागत अनुमान – पक्षियों के शेड – भण्डार कक्ष – ड्रेसिंग कक्ष – अधिकारी कक्ष – कमिकों के आवास – अन्य	

(ग) उपकरण / संयत्र एवं मशीनरी

(क)	फीडर	
(ख)	वाटरर (जल हेतु)	
(ग)	जनरेटर	
(घ)	चारा चक्की एवं मिक्सर	
(च)	डिबिकर	
(छ)	वैक्सिनेटर	
(ज)	फ्रिज / डिप फ्रिजर	
(झ)	अन्य उपकरण यदि आवश्यक हो	
(ट)	ट्रक / वैन / जिप (उक्त वाहनों के लिये मुल्य कोटेशन)	
(ठ)	अन्य	

(घ)आवास

(क)	आवास के प्रकार	डिप लिटर / पिंजरा / पर्यावरण नियंत्रक
(ख)	पक्षियों हेतु आवश्यक क्षेत्रफल (Sqft)	

(च) पक्षी

(क)	परियोजना के स्थान का विवरण	
(ख)	क्रय किये जाने वाले पक्षियों की संख्या	
(ग)	पक्ष्यिों के क्रय किये जाने हेतु सोर्स एवं लागत	
(घ)	मुल्य / प्रति पक्षी	
(च)	क्रय किये जाने वाले पक्षियों का वैक्सिनेशन	
(छ)	प्रतिस्थापना हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम	

(छ) उत्पाद पैरामीटर

(क)	अण्डे उत्पाद हेतु मानक	
(ख)	चारा दक्षता (चारा कि0ग्र0 / उत्पादित किये गये अण्डो की संख्या)	
(ग)	मत्यु दर	

(ज) पक्षी प्लेसमेंट सूची / चार्ट

दिनांक संलग्न की जानी है

परियोजना रिपोर्ट –ब्रालयर पैरेंट फार्म

(झ) चारा

(क)	उपलब्धता के स्त्रोत	क्रय एवं चारा निर्माण
(ख)	यदि क्रय किया जाये iv. क्रय किया जाने वाला स्थान v. ब्राण्ड vi. दर (रू0 / कि0ग्रा0) – चूजा –उत्पादक –पक्षी	

(क)	उपलब्धता के स्त्रोत	क्रय एवं चारा निर्माण
(ग)	यदि प्रक्षेत्र पर निमार्ण किया जाये v. चारा चक्की एवं मिक्वचर की क्षमता vi. कच्चे माल का सोर्स vii. चारा फामूला viii. निर्माण की लागत – चूजा –उत्पादक –पक्षी	
(घ)	आवश्यकता (कि0ग्रा0 प्रति पक्षी) – चूजा –उत्पादक –पक्षी	

(ट) पशुचिकित्सा

(क)	स्त्रोत	
(ख)	स्थान	
(ग)	दूरी (कि0मी0)	
(घ)	स्टॉफ की उपलब्धता	
(च)	उपलब्ध सुविधाओं के प्रकार	
(छ)	यदि स्वंय व्यवस्था की जाती है iv. पशुचिकित्सक/चिकित्सक/स्टॉकमेन/सलाहकार v. दौरे की अवधि vi. भुगतान धनराशि (रू0)	
(ज)	प्रति पक्षी प्रति चक्र पर व्यय	

(ठ)विद्युत

(क)	स्त्रोत	
(ख)	विद्युत बोर्ड से मान्यता	
(ग)	संलग्न लोड	
(घ)	पॉवर फेलियर की समस्यायें	
(च)	जरनेटर की व्यवस्था	

(ड) जल

(क)	स्त्रोत	
(ख)	जल की गुणवत्ता	
(ग)	पिने एवं सफाई हेतु उचित मात्रा में उपलब्धता	
(घ)	यदि निवेश किया जाना है तो संरचना के प्रकार, डिजाईन एवं लागत	

(ण) अण्डों का विपणन

(क)	विक्रय का स्त्रोत	
(ख)	निपटान का स्थान	
(ग)	दूरी (कि0मी0)	
(घ)	भुगतान का आधार (वजन की संख्या)	
(च)	निर्धारित दर – (रू0 / कि0ग्रा0 / अण्डे)	
(छ)	भुगतान की समयावधि	

(त) अन्य उत्पादों का विपणन

(क)	खाद– मात्रा / पक्षी मुल्य प्रति यूनिट (रू0 / मात्रा)	
(ख)	खाली बोरी बैग लागत की संख्या / बैग	

(थ) लाभार्थी का अनुभव

(द) तकनीकी व्यवहार पर टिप्पणी

(ध) राजकीय प्रतिबंध यदि कोई हो

4. वित्तीय पहलू

(क) ईकाई लागत

क्र0 सं0	निवेश का नाम	भौतिक ईकाई एवं विशिष्टता	घटकवार ईकाई यूनिट लागत (रू0)

(ख) डाउन पेमेंट / मार्जिन

(ग) भौतिक एवं वित्तिय वर्षवार कार्यक्रम

क्र0 सं0	निवेश	भौतिक ईकाई (रू0)	ईकाई यूनिट (रू0)	कुल परिव्यय (रू0)	मार्जिन (रू0)	बैंक ऋण (रू0)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

(घ) वित्तीय व्यवहार्यता (फार्म मोड/यूनिट पर नकदी प्रवाह प्रक्षेपण पर टिप्पणी करें)

विवरण	
iv. रिटर्न की आन्तरिक दर (IRR)	
v. लाभ लागत अनुपात (BCR)	
vi. वर्तमान शुद्व मुल्य (NPW)	

(च) उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति (कॉर्पोरेट निकायों/साझेदारी फर्मों के मामले में प्रस्तुत की जानी चाहिए)

5. **लाभप्रदता अनुपात**

   क. जी0पी0 अनुपात

   ख. एन0पी0 अनुपात

6. **ऋण समानता अनुपात**
7. **क्या आयकर एवं अन्य दायित्वों का भुगतान अद्यतन किया गया है**
8. **क्या ऑडिट की तारीख सही है (ऑडिट की प्रतियां संलग्न है)**

छ) उधार की शर्तें

- **ix.** ब्याज दर
- **x.** अनुग्रह अवधि
- **xi.** चुकौती अवधि
- **xii.** प्रकृति सुरक्षा
- **xiii.** जहां भी आवश्यक हो सरकारी गारंटी की उपलब्धता

ज). ढांचागत सुविधाएं

4. **निगरानी के लिए बैंक/कार्यान्वयन प्राधिकरण के पास तकनीकि कर्मचारियों की उपलब्धता**
5. **विवरण**
   क. तकनीकि मार्गदर्शन
   ख. प्रशिक्षण सुविधाएं
   ग. सरकार का समर्थन विस्तार समर्थन
6. **बीमा पॉलिसी का प्रकार**
   क. आवधिकता
   ख. प्रीमियम की दर

अनुलग्नक–A–1

ब्रालयर पैरेंट फार्म की अर्थव्यवस्था– एक नजर में

1	इकाई का आकार	
2	पालन –पोषण की व्यवस्था	
3	जिला	
4	इकाई लागत (रूपये)	
5	बैंक ऋण (रूपये)	
6	मार्जिन मनी (रूपये)	
7	चुकौती अवधि (वर्ष)	
8	ब्याज दर (प्रतिशत)	
9	15 प्रतिशत डीएफ पर बीसीआर	
10	15 प्रतिशत डीएफ पर एनपीडब्ल्यू (रूपये)	
11	आईआरआर (प्रतिशत)	

अनुलग्नक–B–2

ब्रालयर पैरेंट फार्म–निवेश योजना की आर्थिकी

क्र0सं0	विवरण	मुख्य बिन्दु	भौतिक ईकाई	ईकाई निवेश (रू0 /ईकाई)	कुल निवेश
1	शेड एवं अन्य निर्माण क. ब्रूडर कम ग्रोअर शेड ख. लेयर शेड ग. स्टोर रूम				
2.	जल व्यवस्था (मोटर पंप पाईपलाईन आदि)				
3	अन्य आवश्यकताऐ ब्रूडर, ग्रोअर, लयर हाउस				
4	पहले 3 बैचों के आवर्ती व्यय के लिये निवेश क. चुजों की कीमत ख. चारे की लागत ग. दवा, कूडा, श्रम आदि				
5	कुल वित्तिय निवेश (30 प्रतिशत)				
7	बैंक ऋण (70 प्रतिशत)				

अनुलग्नक–C–2

ब्रालयर पैरेंट फार्म का अर्थशास्त्र तकनीकी आर्थिक मापदंड

1	अण्डे देने वाले पक्षियों की संख्या (लेयर)	
2	संबधित अवधि (सप्ताह) ब्रुडिंग कम ग्रोइंग	
3	बैचों की संख्या	
4	प्रति पक्षी स्थान की आवश्यकता (वर्ग फीट) ब्रुडिंग सह ग्रोइंग बिछाने की अवधि	
5	शेडों के निर्माण की लागत (रूपये/वर्गफुट)	
6	निर्मित होने वाला स्टोर रूम क्षेत्र (वर्गफुट)	
7	स्टोर रूम के निर्माण की लागत (रू0/पक्षी)	
8	डपकरणों की लागत और अन्य आवश्यकताऐं (रू0/पक्षी) ब्रूडिंग, ग्रोइंग और पिंजरे	
9	मुत्यूदर (प्रतिशत)	
10	डीओसी की लागत (रू0/चुजे)	
11	निःशुल्क चुजों की आपूर्ति (प्रतिशत)	
12	अतिरिक्त खरीदी (प्रतिशत)	
13	आहार की आवश्यकता (किग्रा0/पक्षी) ब्रुडिंग चरण, विकास चरण, बिछाने का चरण	
14	छाना लागत (रू0/किग्रा0) चूजे/उत्पादक मैश लेयर मैश	
15	श्रम पर व्यय (रू0/माह)	
16	ओवर हेड लागत (दवाओं, वैक्सीन, बीमा कूडे आदि की लागत)(रूपये/पक्षी) ब्रूडिंग, ग्रोइंग स्टेज, लेइंग स्टेज	
17	अण्डा उत्पादन	
18	अण्डे की कीमत (रू0/अण्डा)	
19	डिस्पोजबल पक्षियों का शारीरिक वनज (कि0ग्रा0)	
20	डिस्पोजेबल पक्षियों का ब्रिक्री मुल्य (रू0/पक्षी)	
21	खाद से आय (रू0/पक्षी) ब्रूडिंग, विकास चरण, विछाने का चरण	
22	बोरे की संख्या (प्रति टन चारा)	
23	बेरे से आय (रू0 प्रति बैग)	
24	शेड पर मुल्यहृास (प्रतिशत)	
25	उपकरण का मूल्यहृास (प्रतिशत)	
26	मार्जिन मनी (प्रतिशत)	
27	ब्याजदर (प्रतिशत)	
28	चुकौती अवधि (वर्ष)	
29	अनुग्रह अवधि (वर्ष)	
30	निर्माण अवधि (महीने)	
31	शेड के लिये विश्राम अवधि (सप्ताह) ब्रुडर, ग्रोअर चरण बिछाने की अवधि	

उद्यमी का नाम और पता ....

संपर्क नं0. ....

उद्यमी के हस्ताक्षर ....

कुक्कुट परियोजना वर्ष 2025

उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत बैंक ऋण स्वीकृति के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंक के नियंत्रण कार्यालय से सूचनाउद्यमिता का विकास

(निदेशक, पशुपालन को प्रस्तुत किया जाना है)

बैंक का नाम– दिनॉक–

वर्तमान दावे की कुल राशि –

वर्तमान दावे का विवरण–

रू0

विवरण	
उद्यमी का नाम व पता (पी) (जनपद)	
उद्यमी का आधार नं0 (यदि उपलब्ध)	
परियोजना का स्थान (जनपद)	
एस0सी0 / एस0टी0 / महिला बी0एस0आर0 कोड के साथ बैंक / शाखा का पता (जनपद)	
ऋण खाता संख्या	
मंजूरी की तारीख	
ऋण का उद्देश्य	
इकाई का आकार	
कुल वित्तीय परिव्यय	
अंतर या मार्जिन	
बैंक ऋण	
पुनर्भुगतान निर्धारित	
ब्याज की दर	
ऋण की पहली किस्त जारी होने की तिथि	
जारी की गयी राशि (रू0)	
ब्याज सब्सिडी का दावा किया गया	
परियोजना से सम्बन्धित कोई अन्य जानकारी	

1. हम उत्तराखण्ड सरकार में निहित सभी निर्देशों का अनुपालन करने का वचन देतें हैं। उपरोक्त प्रस्तावों को मंजूरी लेते समय योजना के परिचालन दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या–13 .... दिनॉक .... (और बाद में उत्तराखण्ड सरकार / यू0एल0डी0बी0 द्वारा दिये गये संशोधन)।
2. हम आपसे ब्याज सब्सिडी के रूप में .... (रू0) की राशि जारी करने का अनुरोध करते हैं उपरोक्त उद्यमी के सम्बन्ध में।

स्थान

दिनॉक हस्ताक्षर और मोहर

शाखा प्रबन्ध (वित्तपोषण बैंक)

हस्ताक्षर एवं मोहर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

बैंक का नियंत्रण कार्यालय

उपयोगिता प्रमाण पत्र–पूंजी सब्सिडी का प्रारूप

(वित्तपोषण बैंक (राष्ट्रीयकृत बैंक) के उपयोग के लिए कुक्कुट परियोजना–2025 उत्तराखण्ड सरकार के कुक्कुट उद्यमिता विकास के नोडल कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है।)

1. **लाभार्थी का नाम, पता और परियोजना का स्थान**
2. **वित्तपोषण बैंक का नाम**
3. **वित्तपोषण शाखा का नाम व पता**
4. **बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने के तिथि**
5. **बैंक द्वारा इकाई की फील्ड मॉनिटरिंग की तिथि**
6. **इकाई की पूर्ण होने के तिथि**
7. iकुल वित्तीय परिव्यय रू0

   iiमार्जिन मनी रू0

   iiiबैंक ऋण रू0

iv निदेशक／सीओ से प्राप्त ब्याज सब्सिडी	प्राप्त राशि की तिथि (रू0)	उधारकर्ता के ''सब्सिडी रिजर्व फंड ए／सी0'' के क्रेडिड की तिथि

8. **सृजित सम्पति का संक्षिप्त विवरण**
9. **वित्तीय बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर % प्रति वर्ष**
10. **यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्राप्त पूॅजीगत सब्सिडी की पूरी राशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया है और योजना के समग्र दिशानिर्देशों के तहत परियोजना के स्वीकृत नियमों और शर्तो के तहत खाते की पुस्तकों में समायोजित किया गया है।**

स्थान
दिनॉक

हस्ताक्षर और मोहर
शाखा प्रबन्ध (वित्तपोषण बैंक)